

31.08.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप०। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त। बहस प्रा० प० मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरुस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा बैंक पासबुक, पासपोर्ट, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटरलिस्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र सुणाराम, मतदाता परिचय पत्र, तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र छीतरमल का अवलोकन करने पर पाते हैं कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सुणाराम है तथा सुगनाराम व सुणाराम दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं। उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

#### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ० धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम घनावता पटवार हल्का इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 100, 102, 15, 7 कुल किता 4 कुल रकबा 7.9400 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम छीतरमल पुत्र सुगनाराम के बजाय छीतरमल पुत्र सुणाराम व शिवचन्द पुत्र सुगनाराम के बजाय शिवचन्द पुत्र सुणाराम दुरुस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

राम सिंह राजावत  
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राम सिंह राजावत  
(राम सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाटी

